न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस

राजस्व विविध संख्या – 1/2021

निर्णय दिनांक –15.04.2021

प्रार्थी

शंकरलाल पुत्र हरजी जाति–मेघवाल निवासी–करणवा तहसील–देसूरी जिला–पाली

अप्रार्थी

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार,देसूरी जिला–पाली

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय **दिनांक :–15.04.2021**

प्रार्थना पत्र के सक्षेंप के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी शंकरलाल पुत्र हरजी जाति–मेघवाल निवासी–करणवा तहसील–देसूरी पटवार हल्का कोटडी में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 1.2900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.3700 हैक्टर, किस्म बारानी कुल खसरा–2 कुल रकबा 1.6600 हैक्टर लगान रूपये 11.6200 आई हुई है।

उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम हरजी के स्थान पर प्रार्थी के भाई गुलाबराम का नाम गलत इन्द्राज हो गया है जिसको शुद्धिकरण कर शंकरलाल पुत्र हरजी करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में हमने कई बार राजस्व विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया गया, मगर राजस्व रिकोर्ड में आज दिन तक संशोधन नही हुआ है। अतः न्याय हित में प्रार्थी शंकरलाल पुत्र हरजी संशोधित करने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। वकील प्रार्थी ने छोगाराम पुत्र गुलाबराम व शंकरलाल का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पेज नम्बर 2 पर लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अप्रार्थी तहसीलदार, देसूरी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में दर्शाये ग्राम करणवा के खसरा नम्बर 395 रकबा 1.2900 हैक्टर व खसरा नम्बर 492 रकबा 0.3700 हैक्टर किस्म बारानी कुल खसरा 2 रकबा 1.6600 हैक्टर भूमि राजस्व रिकोर्ड में वादी के नाम दर्ज नही है। रिकोर्ड में उक्त भूमि शंकरलाल पुत्र गुलाबराम के नाम दर्ज है। यह है कि प्रार्थी को आंवटन 1976 में शंकरलाल पुत्र गुलाब के नाम से हुआ था, जो शुद्ध किया नही जा सकता हैं इस नाम का कोई ओर भी व्यक्ति हो सकता हैं।

प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि शंकरलाल को उक्त भूमि दिनांक 4.05.1976 को आंवटन हुई थी। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम हरजी की जगह गुलाब गलती से लिखा गया है। गुलाबराम की मृत्यु हो चुकी हैं। गुलाब के पुत्र छोगाराम द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर शंकरलाल के पिता नाम राजस्व रिकोर्ड में दुरस्ती कर गुलाबराम की जगह हरजी करने पर सहमति जताई है। तथा जिस संबंध में प्रार्थी द्वारा शंकरलाल के पिता का हरजी होने के संबंध में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पेश किये है जिससे भी स्पष्ट है कि शंकरलाल के पिता का नाम हरजी है।

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी ने बहस के कथन किया कि राजस्व रिकोर्ड में शंकरलाल पुत्र गुलाबराम आवंटन आदेश दिनांक 04.05.1976 के अनुरूप ही दर्ज किया गया। शंकरलाल पुत्र गुलाबराम नाम का कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। आवंटन आदेश को दुरस्त कराने की प्रार्थी द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए।

वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के पिता हरजी के स्थान पर प्रार्थी के भाई गुलाबराम का नाम इन्द्राज होने से शुद्धि हेतु पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली के आवंटन आदेश दिनांक 04.05.1976 में शंकरीया पुत्र गुलाब के नाम से हुआ है। जिसके अनुसार राजस्व रिकोर्ड में जमाबन्दी सवत् 2035-2039 में शकरिया पुत्र गुलाब मेगवाल खसरा नम्बर 246/116, 243/82 में गैर खातेदार दर्ज जरिये आंवटन सवत् 2033 से नामान्तरकरण संख्या 227 दर्ज हुआ। अतः उक्त आंवटन आदेश के अनुसार ही राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किया गया। तथा प्रार्थी द्वारा बताये ग्राम करणवा के खसरा नम्बर 395 रकबा 1.2900 हैक्टर व खसरा नम्बर 492

पेज नम्बर 3 पर लगातार

(मोहर: सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली))

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

रकबा 0.3700 हैक्टर मे सुधार चाहा गया। जबकि इस संबंध में प्रार्थी द्वारा जो पुराने खसरा नम्बर से बने नये खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नही किया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि इस आवंटन शुदा खसरा नम्बर से ही नये खसरा नम्बर 395 व 492 बने हो।

यह है कि धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत ऐसी अशुद्धियो का ही सुधार किया जा सकता है कि जो राजस्व रिकोर्ड के आधार पर जो पूर्व में निहित थे उसके अनुरूप ही वर्तमान में हुई गलतियो की शुद्धि की जा सकती है तथा पक्षकार द्वारा उस संबंध में गलती होना जाहिर किया जावे। अतः उक्त विवेचन में न्यायालय की राय में उक्त राजस्व रिकोर्ड में शंकरलाल पुत्र गुलाबराम आवंटन आदेश के अनुरूप ही दर्ज हुआ हैं। इसमें किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि नही पाई गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत मेन्टेनेबल नही है। अतएव

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय/आदेश आज दिनांक 15.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested